रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 133] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 18, 1976/फाल्गुन 28, 1897
No. 133] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 18, 1976/PHALGUNA 28, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CABINET SECRETARIAT
(Department of Cabinet Affairs)
NOTIFICATION

New Delhi, the 15th March 1976

S.O. 203(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (One hundred and fourteenth Amendment) Rules, 1976.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, (hereinafter referred to as the said rules) in the First Schedule,—

(i) for entry 6, the following entry shall be substituted, namely:—

"6. Ministry of Finance (Vitta Mantralaya):

(i) Department of Economic Affairs (Arthik Karya Vibhag).

(ii) Department of Expenditure (Vyaya Vibhag).";

(ii) after entry 6, the following entry shall be inserted, namely:—

"6A. Department of Revenue and Banking (Rajaswa aur Banking Vibhag).";

3. In the Second Schedule to the said rules,—

(a) under the heading "MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE (SHIKSHA AUR SAMAJ KALYAN MANTRALAYA)", under the sub-heading "B. DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE (SAMAJ KALYAN VIBHAG)",

(i) for entry 1, the following entry shall be substituted, namely:—

"1. Social Security and Social Insurance, save to the extent allotted to any other Department.";

(ii) for entry 23, the following entry shall be substituted, namely:—

"23. National Institute of Social Defence.";

(iii) for entry 24, the following entry shall be substituted, namely:—

"24. Coordination of activities of CARE.";

(b) under the heading "MINISTRY OF FINANCE (VITTA MANTRALAYA)",—

(i) the sub-heading "A. DEPARTMENT OF BANKING (BANKING VIBHAG)" and the entries thereunder, shall be omitted;

(ii) for the sub-heading "B. DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS (ARTHIK KARYA VIBHAG)", the following shall be substituted, namely:—

"A. DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS (ARTHIK KARYA VIBHAG)";

(iii) under the sub-heading "A. DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS (ARTHIK KARYA VIBHAG)";

(a) in item I, after entry 5 the following etry shall be inserted, namely:—

"5A. Approvals for commercial borrowing abroad.";

(b) in item II, after entry 8, the following entries shall be inserted, namely:—

"8A. All matters relating to the India Consortium.

8B. All matters relating to grant of loans and credits to other countries except Nepal, Bhutan and Bangladesh.

8C. Policy issues relating to the United Nations Fund for Population Activities (UNFPA) and contributions to the specialised Agencies of the United Nations and other UN Bodies.

8D. All matters relating to the Foreign Volunteers Programme in India including the United Nations Volunteers (except outgoing Volunteers under UNV).

8E. Technical Assistance received by India or given to foreign governments, Internal Institutions and Organisations, except such as are relatable to subjects allocated to any other Department.";

(c) in item III,

(i) for entry 11, the following entry shall be substituted, namely:—

"11. Investment Policy including Investment Policy of LIC, UTI and GIC.";

(ii) after entry 11, the following entry shall be inserted, namely:—

"11A. Investment pattern for Employees' Provident Fund and other like Provident Funds.";

(d) in item IV,

(i) for entry 12, the following entry shall be substituted, namely:—

"12. Advice on matters which have a bearing on internal and external aspects of Economic Management including prices.";

(ii) after entry 12, the following entry shall be inserted, namely:—
"12A. Credit, fiscal and monetary policies.";

(e) in item V,

(i) for entries 14 and 22, the following entries shall respectively be substituted, namely:—

"14. Preparation of Central Budget other than Railway Budget including supplementary excess grants and when a proclamation by the President as to failure of Constitutional machinery is in operation in relation to a State or a Union Territory, preparation of the budget of such State or Union Territory.

22. Contingency Fund of India and Administration of Contingency Fund of India Act 1950 (49 of 1950).";

(ii) after entry 29, the following entries shall be inserted, namely:—

"29A. Duties and powers of the Comptroller and Auditor General.

29B Laying of Audit Reports before the Parliament and coordination in the Department of Economic Affairs (Arthik Karya Vibhag) of all Audit Reports, PAC's reports and Estimates Committee's Reports.

29C. Financial Emergency";

(f) after entry 32, the following shall be inserted, namely:—

"VIIA. Miscellaneous Acts.

32A. Government Savings Bank Act, 1873 (5 of 1873).

32B. Section 20 of the Indian Trusts Act, 1882 (2 of 1882), dealing with Investments.

32C. Metal Tokens Act, 1889 (1 of 1889).

32D. Charitable Endowments Act, 1890 (6 of 1390).

32E. Indian Coinage Act, 1906 (3 of 1906).

32F. Indian Securities Act, 1920 (1 of 1920).

32G. Currency Ordinance, 1940 (4 of 1940).

32H. International Monetary Fund and Bank Act, 1945 (Ordinance 47 of 1945).

32I. Capital Issues (Control) Act, 1947 (29 of 1947).

32J. Finance Commission (Miscellaneous Provisions) Act, 1951 (33 of 1951).

32K. Government Savings Certificates Act, 1959 (46 of 1959).

32L. Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963).

32M Compulsory Deposit Scheme Act, 1963 (21 of 1963).

32N. Legal Tender (Inscribed Notes) Act, 1964 (28 of 1964).

32O. Asian Development Bank Act, 1966 (18 of 1966).

32P. The Public Provident Fund Act, 1968 (23 of 1968).

32Q. Small Coins (Offences) Act, 1971 (52 of 1971).

32R. Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971 (56 of 1971).

32S Additional Emoluments (Compulsory Deposit) Act, 1974 (37 of 1974).";

(g) in item VIII, in entry 33 for the words and figures "item I to VII", the words, figures and letter "item I to VIIA" shall be substituted;

(h) after entry 33 the following item and entries shall be inserted, namely:—

"IX. Insurance

34. Policy relating to General Insurance; Administration of the Insurance Act, 1938· Insurance Companies Association Pool; Subsidiaries of the Life Insurance Corporation.

35. Policy relating to Life Insurance; Nationalisation of the Life Insurance business; Administration of the Life Insurance Corporation Act, 1956, Life Insurance Tribunal.

36. Office of the Controller of Insurance.

37. The responsibility of the Central Government relating to matters concerning centrally administered areas in respect of any of the entries from 34 to 36 above.";

(iv) for the sub-heading "C. DEPARTMENT OF EXPENDITURE (VYAYA VIBHAG)", the following shall be substituted, namely:—

"B. DEPARTMENT OF EXPENDITURE (VYAYA VIBHAG)";

(v) the sub-heading "D. DEPARTMENT OF REVENUE AND INSURANCE (RAJASWA AUR BIMA VIBHAG)", and the entries thereunder shall be omitted;

(c) after the heading "MINISTRY OF FINANCE (VITTA MANTRALAYA)" and the entries thereunder, the following heading and entries shall be inserted, namely:—

"DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING (RAJASWA AUR BANKING VIBHAG)

1. All matters relating to Central Board of Revenue.

2. Stamp duties on bills of exchange, cheques, promissory notes, bills of lading, letters of credit, policies of insurance, transfer of shares, debentures, proxies and receipts.

3. Supply and distribution of all kinds of stamps.

4. All questions relating to income-tax (except questions relating to the Income-tax Appellate Tribunal), corporation tax, capital gains tax, excess profits tax, business profits tax and estate duty, wealth tax, expenditure tax and gift tax and also questions relating to Railway Passenger Fares Act.

5. Administration of excise in the Union Territories, i.e., all questions relating to—

(a) Alcoholic liquors for human consumption.

(b) Opium, Indian hemp and narcotic drugs and narcotics.

6. Medical and toilet preparations containing alcohol, or any substance included in 5(b).

7. Opium, as regards cultivation, manufacture and sale for export.

8. International agreements relating to dangerous drugs and their implementation.

9. All matters relating to Customs (Sea and Land) including the Indian Tariff Act, 1934, Tariff valuations, Customs Cooperation Council, Customs nomenclature and similar matters; duties on goods imported or exported; prohibitions and restrictions on imports and exports imposed in the interest of revenue; and interpretation of Customs Tariff.

10. All matters relating to Central Excise and Gold Control Administration.

11. Sales Tax:—

(i) The Administration of Sales Tax Laws (Validation) Act, 1956.

(ii) Levy of tax on sales in the course of inter-state trade or commerce-problems arising out of the administration of the Central Sales Tax Act, 1956.

(iii) Declaration of goods as of special importance in interstate trade or commerce under article 286(3) of the Constitution—laying down of the conditions and restrictions to which the State laws providing for the levy of tax on them would be subjected.

(iv) All questions relating to replacement of sales tax by additional excise duty including administration of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957.

(v) All Bills etc., relating to sales tax levy in States coming up for the previous instructions, recommendations or assent of the President.

(vi) Legislative matters concerning sales tax in the Union Territories.

(vii) Problems arising out of the invalidation of sugar-cane cess levies of States including validation of such levies.

12. All matters relating to pre-partition duty refund claims on salt.

13. Subordinate Organisation:—

(a) Income Tax Department;

(b) Customs Department;

(c) Central Excise Department; and

(d) Narcotics Department.

14. Preventive detention for reasons connected with the conservation of foreign exchange or prevention of smuggling; persons subjected to such detention.

15. All Indian Banks, whether nationalised or not.

16. All foreign banks so far as their operations in India are concerned.

17. All matters relating to the Reserve Bank of India, except those which remain directly the concern of the Economic Affairs Department (Arthik Karya Vibhag).

18. All matters relating to Co-operative Banking which are the concern of this Department.

19. All matters relating to long term financial institutions excluding Unit Trust of India, Life Insurance Corporation and General Insurance Corporation.

20. Chit Funds and other non-banking companies accepting deposits.

21. Other matters relating to Banking in India.

22. Administration of all Statutes, Regulations and other laws connected with above subjects.";

(d) under the heading "MINISTRY OF LABOUR (SHRAM MANTRALAYA)", for entries 5 and 25A the following entries shall respectively be substituted, namely:—

"5. Welfare of labour—industrial, commercial and agricultural conditions of labour; provident funds; family pension, gratuity; employers' liability and workmen's compensation; health and sickness insurance, including invalidity pensions, old age pensions, improvement of working conditions in factories; cateens in industrial undertakings.

25A. Administration of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), Coal Mines Provident Fund, Family Pension and Bonus Schemes Act, 1948 (46 of 1948), and Payment of Gratuity Act, 1972 (39 of 1972),";

(e) under the heading 'MINISTRY OF SUPPLY AND REHABILITATION (POORTHI AUR PUNARVAS MANTRALAYA)", under the sub-heading "A DEPARTMENT OF REHABILITATION (PUNARVAS VIBHAG)' for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely —

"1 Relief and Rehabilitation of displaced persons from former East Pakistan

Relief includes·

Establishment of camps, payment of cash doles, provisions of other amenities and necessities

Rehabilitation includes·

Housing training and employment, resettlement on land, in business industries and other non-agricultural occupations

2 Relief and rehabilitation of repatriates from Sri Lanka, Burma, Mozambique, Uganda and Zaire

3 Relief and Rehabilitation of Tibetan refugees

4 Relief and Rehabilitation of displaced persons from Chhamb area in Jammu and Kashmir, Chhamb Displaced Persons Rehabilitation Authority

5 Dandakaranya Development Scheme and Dandakaranya Development Authority

6 Administration of Central Camps work site camps and Karmi Shibirs for displaced persons from former East Pakistan

7 Rehabilitation Industries Corporation

8 Residuary problems relating to displaced persons from former East Pakistan in West Bengal

9 Residuary problems of refugees from Bangladesh

10 Residuary problems of migrants from Pakistan occupied areas of Jammu and Kashmir

11 Development of such special areas as may be indicated by the Prime Minister from time to time Special Areas Development Programme in Andaman and Nicobar Islands, in so far as it relates to rehabilitation of displaced persons, repatriates and ex-servicemen

12 Relief and Reseelement of persons affected in border areas of Jammu and Kashmir Punjab Gujarat and Rajajsthan during the Indo-Pak Conflict, 1971

13 Residuary matters relating to displaced persons from former West Pakistan now Pakistan

14 Administration of following Acts —

(a) Administration of Evacuee Property Act, 1950 (31 of 1950)

(b) Evacuee Interest (Separation) Act, 1951 (64 of 1951)

(c) Displaced Persons (Debts Adjustment) Act 1951 (70 of 1951)

(d) Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954)

(e) Displaced Persons (Claims) Supplementary Act, 1954 (12 of 1954).

(f) Transfer of Evacuee Deposits Act, 1954 (15 of 1954)

(g) Matters relating to Goa Daman and Diu Administration of Evacuee Property Act, 1964

15 Negotiations with Pakistan concerning evacuee property left by displaced persons from former West Pakistan now Pakistan

16. Restoration of movable property received from former West Pakistan now Pakistan to the displaced persons from former West Pakistan now Pakistan.

17. (a) Verification and payment of claims of displaced persons from former West Pakistan now Pakistan who were Government servants in the undivided provinces and local bodies in respect of pension, provident fund, leave salary and security deposits.

(b) *Ad hoc* schemes for payment of pension, G.P. Fund, leave Salary and ex-gratia relief to displaced Government servants from former West Pakistan now Pakistan, grant of relief to the contractors in respect of their verified claims; grant of relief to pensioners migrated from former East Pakistan and West Pakistan now Pakistan between 1-1-1961 and 25-3-71.

18. All Attached or Subordinate Offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this list.

N. B.—Except where specified, the programmes of relief and rehabilitation are executed and administered through the State Governments."

F. A. AHMED,
President.

[No. 74/2/1/75-CF]

J. S. MONGIA, Jt. Secy.

मंत्रिमंडल सचिवालय

(मंत्रिमंडल कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 1976

का० आ० 203 (अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारत सरकार (कार्य आबंटन) (एक सौ चौदहवां संशोधन) नियम, 1976 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, प्रथम अनुसूची में,—

(i) प्रविष्टि 6 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"6. वित्त मंत्रालय :

(i) आर्थिक कार्य विभाग।

(ii) व्यय विभाग।" ;

(ii) प्रविष्टि 6 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"6क. राजस्व और बैंकिंग विभाग।" :

3. उक्त नियमों की द्वितीय अनुसूची में,—

(क) "शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय" शीर्षक के नीचे "ख. समाज कल्याण विभाग" उप-शीर्षक के नीचे,

(i) प्रविष्टि 1 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—
"1. सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, उस सीमा के सिवाय जितनी कि किसी अन्य विभाग को आवंटित कर दी गई हो।" ;

(ii) प्रविष्टि 23 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—
"23. राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान।" ;

(iii) प्रविष्टि 24 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—
"24. केयर (कोआपरेटिव फार अमेरिकन रेमिटैंन्सिज टू यूरोप) की गतिविधियों का समन्वयन।" ;

(ख) "वित्त मंत्रालय" शीर्षक के नीचे,—

(i) उप-शीर्षक "क. बैंकिंग विभाग" तथा उसके नीचे की प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ii) उप-शीर्षक "ख. आर्थिक कार्य विभाग" के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—
"क. आर्थिक कार्य विभाग" ;

(iii) उप-शीर्षक "क. आर्थिक कार्य विभाग" के नीचे,

(क) मद 1 में, प्रविष्टि 5 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तः-स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—
"5क. विदेशों मे वाणिज्यिक उधार लेने के लिए अनुमोदन।";

(ख) मद ii में, प्रविष्टि 8 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियों को अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"8क. इंडिया कान्सार्शियम से संबंधित सभी मामले।

8ख. नेपाल, भूटान और बंगलादेश को छोड़कर अन्य देशों को ऋण और उधार मंजूर करने से संबंधित सभी मामले।

8ग. युनाइटिड नेशन्स फंड फार पापुलेशन एक्टिविटीज (यू एन एफ पी ए) से संबंधित और राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरणों तथा अन्य राष्ट्रसंघ निकायों को अंशदानों से संबंधित नीति संबंधी मामले।

8घ. (यू एन वी के अन्तर्गत बहिर्गामी वालांटियरों के अतिरिक्त युनाइटिड नेशन्स वालांटियर्स सहित भारत में विदेशी वालांटियर कार्यक्रम से संबंधित सभी विषय।

8ङ भारत को प्राप्त होने वाली अथवा विदेशी सरकारों, अतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और संगठनों को दी जाने वाली तकनीकी सहायता, जिसमें वे नहीं हैं जिनका संबंध किसी अन्य विभाग को आबंटित विषयों से हो।" ;

(ग) मद III में,—

(i) प्रविष्टि 11 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"11. जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया और सामान्य बीमा निगम की विनिधान पालिसी सहित विनिधान नीति" ;

(ii) प्रविष्टि 11 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"11क. कर्मचारी भविष्य निधि और इसी प्रकार की अन्य भविष्य निधियों के लिए विनिधान का ढांचा।" ;

(घ) मद IV में,—

(i) प्रविष्टि 12 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"12. उन मामलों पर सलाह जो आर्थिक प्रबन्ध जिसमें मूल्य भी हैं, के आंतरिक और बाह्य पहलुओं को प्रभावित करते हैं।" ;

(ii) प्रविष्टि 12 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"12क. ऋण-संबंधी राजकोषीय और मुद्रा-संबंधी नीतियां।" ;

(ङ) मद V में,—

(i) 14 और 22 प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"14. रेल बजट को जिसमें अनुपूरक अतिरिक्त अनुदान भी हैं छोड़कर केन्द्रीय बजट तैयार करना और जब किसी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में सांविधानिक तंत्र की विफलता के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा प्रवर्तनशील हो, तो ऐसे राज्य अथवा संघ राज्यक्षेत्र का बजट तैयार करना।

22. भारतीय आकस्मिकता निधि और भारतीय आकस्मिकता निधि का प्रशासन अधिनियम, 1950 (1950 का 49)।" ;

(ii) प्रविष्टि 29 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अन्तः स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"29क. नियंत्रक और महा-लेखापरीक्षक के कर्त्तव्य और शक्तियां।

29ख. संसद् के समक्ष लेखा परीक्षा रिपोर्ट रखना और आर्थिक कार्य विभाग में सभी लेखापरीक्षा रिपोर्टों, लोक लेखा समिति की रिपोर्टों और प्राक्कलन समिति की रिपोर्टों का समन्वयन।

29ग. वित्तीय आपात।";

(च) प्रविष्टि 32 के पश्चात् निम्नलिखित को अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"VII क. प्रकीर्ण अधिनियम

32क. सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 (1873 का 5)।

32ख. विनिधानों से सम्बन्धित, भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 2) की धारा 20।

32ग. धातु सिक्का अधिनियम, 1889 (1889 का 1)।

32घ. पूर्त विन्यास अधिनियम, 1890 (1890 का 6)।

32ङ. भारतीय सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 (1906 का 3)।

32च. भारतीय प्रतिभूति अधिनियम, 1920 (1920 का 1)।

32छ. करेंसी अध्यादेश, 1940 (1940 का 4)।

32ज. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि और बैंक अधिनियम, 1945 (1945 का अध्यादेश 47)।

32झ. पूंजी निर्गमन (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 29)।

32ञ. वित्त आयोग (प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1951 (1951 का 33)।

32ट. सरकारी बचत-पत्र अधिनियम, 1959 (1959 का 46)।

32ठ. यूनिट ट्रस्ट आफ़ इण्डिया अधिनियम, 1963 (1963 का 52)।

32ड. अनिवार्य निक्षेप स्कीम अधिनियम, 1963 (1963 का 21)।

32ढ. वैध निविदा (अन्तर्लिखित नोट) अधिनियम, 1964 (1964 का 28)।

32ण. एशियाई विकास बैंक अधिनियम, 1966 (1966 का 18)।

32त. लोक भविष्य निधि अधिनियम, 1968 (1968 का 23)।

32थ. छोटे सिक्के (अपराध) अधिनियम, 1971 (1971 का 52)।

32द. नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां और सेवा-शर्तें) अधिनियम, 1971 (1971 का 56)।

32ध. अतिरिक्त परिलब्धियां (अनिवार्य जमा) अधिनियम, 1974 (1974 का 37)।";

(छ) मद VII मे, प्रविष्टि 33 में "मद I से VII" शब्दों और अंकों के स्थान पर "मद I से VII क" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।;

(ज) प्रविष्टि 33 के पश्चात, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियों को अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"IX बीमा

34. सामान्य बीमा; बीमा अधिनियम का प्रशासन अधिनियम, 1938; बीमा कम्पनियों सगम पूल; जीवन बीमा निगम की समनुषंगियों से सम्बन्धित नीति ।

35. जीवन बीमा; जीवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण; जीवन बीमा निगम का प्रशासन अधिनियम, 1956; जीवन बीमा अधिकरण से सम्बन्धित नीति ।

36. बीमा नियंत्रक का कार्यालय ।

37. उपर्युक्त 34 से 36 तक की किसी भी प्रविष्टि के सम्बन्ध में केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों से सम्बद्ध मामलों के विषय में केन्द्र सरकार का दायित्व ।";

(iv) उप-शीर्षक "छ. व्यय विभाग" के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :—

"ख. व्यय विभाग ।" ;

(v) उप-शीर्षक "घ. राजस्व और बीमा विभाग" और उसके नीचे की प्रविष्टियों का, लोप कर दिया जाएगा ;

(ग) शीर्षक "वित्त मंत्रालय" और उसके नीचे की प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित शीर्षक और प्रविष्टियां अन्तः स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"राजस्व और बीमा विभाग

1. केन्द्रीय राजस्व बोर्ड से सम्बन्धित सभी मामले ।

2. विनियम पत्रों, चैकों, रुक्कों, वहन पत्रों, साख-पत्रों, बीमा पालिसियों शेयरों के हस्तांतरणों, डिबेंचरों, परीक्षा-पत्रों और रसीदों पर स्टाम्प शुल्क ।

3. सभी प्रकार के स्टाम्पो की पूर्ति और वितरण ।

4. आय-कर (आय-कर अपील अधिकरण से सम्बद्ध प्रश्नों को छोड़ कर), निगम-कर, पूंजी लाभ कर, अतिलाभ कर, कारोबार लाभ कर और संपदा-शुल्क, धन-कर, व्यय-कर और दान कर से सम्बन्धित सभी प्रश्न तथा रेल यात्री भाड़ा अधिनियम से भी सम्बन्धित प्रश्न ।

5. संघ राज्यक्षेत्रों में उत्पाद-शुल्क का प्रशासन, अर्थात, निम्नलिखित से सम्बद्ध सभी प्रश्न—

(क) मानव के उपभोग के लिए ऐल्कोहलिक लिकर।

(ख) अफ़ीम, गांजा और स्वापक औषधियां और स्वापक।

6. ऐल्कोहलमय औषधियां और प्रसाधन निर्मितियां अथवा 5(ख) में सम्मिलित कोई पदार्थ।

7. अफीम, जहां तक निर्यात के लिए उसकी कृषि, विनिर्माण और विक्रय करने का सम्बन्ध है।

8. खतरनाक औषधियों से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय करार और उनका कार्यान्वयन।

9. सीमा-शुल्क (समुद्र और स्थल) से सम्बन्धित सभी मामले जिनमें भारतीय टैरिफ़ अधिनियम, 1934, टैरिफ मूल्यांकन, सीमा-शुल्क सहयोग परिषद्, सीमा-शुल्क नामावली तथा इसी प्रकार के अन्य मामले सम्मिलित है; आयातित अथवा निर्यातित माल पर शुल्क; राजस्व के हित मे आयातों और निर्यातों पर लगाए गए प्रतिषेध और निर्बन्धन; और सीमा-शुल्क टैरिफ़ का निर्वचन।

10. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और स्वग स्वण नियत्रण प्रशासन से सम्बन्धित सभी मामले।

10क. बिक्री कर :—

(i) बिक्री कर विधियों का प्रशासन (विधिमान्यता) अधिनियम, 1956।

(ii) केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के प्रशासन से उत्पन्न होने वाली अतर्राज्यिक व्यापार अथवा वाणिज्य समस्याओं के दौरान बिक्रियों पर कर का उद्ग्रहण।

(iii) सविधान के अनुच्छेद 286(3) के अधीन अन्तर्राज्यिक व्यापार अथवा वाणिज्य के लिए विशेष महत्व का माल घोषित करना व शर्तें और निर्बन्धन अधिकथित करना जिनके अध्यधीन माल के ऊपर कर उद्ग्रहण की व्यवस्था करने वाली राज्य-विधियां होंगी।

(iv) बिक्री कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क लगाने से सम्बद्ध सभी प्रश्न जिनमें अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 का प्रशासन सम्मिलित है।

(v) राज्यों में बिक्री कर उद्ग्रहण से संबद्ध वे सभी विधेयक आदि जो राष्ट्रपति के पूर्व अनुदेशों, सिफ़ारिशों अथवा सहमति के लिए प्रस्तुत किए जाएं।

(vi) संघ राज्यक्षेत्रों में बिक्री कर से संबंधित विधायी मामले।

(vii) राज्यों में गन्ना उप-कर उद्ग्रहण की अविधि-मान्यता जिसमें इस प्रकार के उद्ग्रहणों की विधि-मान्यता भी है, के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याएं।

11. नमक पर विभाजन-पूर्व शुल्क प्रतिदाय सम्बन्धी दावों से संबद्ध सभी मामले।

12. अधीनस्थ संगठन :—

(क) आयकर विभाग ;

(ख) सीमाशुल्क विभाग ;

(ग) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभाग; और

(घ) नार्कोटिक विभाग।

13. विदेशी मुद्रा के संरक्षण अथवा तस्करी निवारण से सम्बद्ध कारणों से निवारक निरोध; इस प्रकार निरुद्ध किए गए व्यक्ति।

14. सभी भारतीय बैंक, चाहे राष्ट्रीयकृत हों या नहीं।

15. सभी विदेशी बैंक जहां तक भारत में उनके प्रचालन का सम्बन्ध है।

16. भारतीय रिज़र्व बैंक से सम्बन्धित सभी मामले, जो उनके सिवाय हैं जिनसे आर्थिक कार्य विभाग का सीधा सम्बन्ध है।

17. सहकारी बैंकिंग से सम्बन्धित वे सभी मामले जिनका इस विभाग से सम्बन्ध है।

18. यूनिट ट्रस्ट आफ़ इंडिया, जीवन बीमा निगम, और सामान्य बीमा निगम के अतिरिक्त, दीर्घकालिक वित्तीय संस्थाओं से सम्बन्धित सभी मामले।

19. चिट फण्ड तथा निक्षेपों का प्रतिग्रहण करने वाली अन्य गैर-बैंकिंग कम्पनियां।

20. भारत में बैंकिंग से संबद्ध अन्य मामले।

21. उपर्युक्त विषयों से संबद्ध सभी कानूनों, विनियमों और अन्य विधियों का प्रशासन।" ;

(घ) शीर्षक "श्रम मंत्रालय" के नीचे, 5 और 25क प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमश: निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"5. श्रम कल्याण—श्रम की औद्योगिक, वाणिज्यिक और कृषि सम्बन्धी दशाएं, भविष्य निधियां; कुटुम्ब पेंशन, उपदान; नियोक्ता का दायित्व और कमकार-प्रतिकर; स्वास्थ्य और रोग बीमा, जिसमें अशक्तता पेंशनें, वार्धक्य पेंशनें, कारखानों में कार्य-दशाओं में सुधार सम्मिलित है; औद्योगिक उपक्रमों में कैन्टीनें।

25क. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34), कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19), कोयला खान भविष्य निधि, कुटुम्ब पेंशन और बोनस स्कीम अधिनियम, 1948 (1948 का 46), और उपदान सदाय अधिनियम, 1972 (1972 का 39) का प्रशासन।",

(ङ) शीर्षक "पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय" के नीचे, उप-शीर्षक "क. पुनर्वास विभाग" के नीचे, वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"1. भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों की सहायता और पुनर्वास।

सहायता में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

शिविरों की स्थापना, नकद खैरात का भुगतान, अन्य सुविधाओं और आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था।

पुनर्वास में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

आवास, प्रशिक्षण और रोजगार, भूमि, कारबार, उद्योगों और अन्य कृषितर व्यवसायों के सम्बन्ध में पुन:स्थापन।

2. श्री लंका, बर्मा, मोजाम्बिक, उगांडा और जायरे से प्रत्यावर्तित व्यक्तियों की सहायता और पुनर्वास।

3. तिब्बती शरणार्थियों की सहायता और पुनर्वास।

4. जम्मू और काश्मीर मे छम्ब क्षेत्र से विस्थापित व्यक्तियों की सहायता और पुनर्वास। छम्ब विस्थापित व्यक्ति पुनर्वास प्राधिकरण।

5. दण्डकारण्य विकास योजना और दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण।

6. भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों के लिए केन्द्रीय शिविरों, कार्य-स्थल शिविरों और कर्मी शिविरों का प्रशासन।

7. पुनर्वास उद्योग निगम।

8. पश्चिमी बंगाल मे भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों से सम्बन्धित अवशिष्ट समस्याएं।

9. बंगलादेश से आए शरणार्थियों की अवशिष्ट समस्याएं।

10. जम्मू काश्मीर के पाकिस्तान-अधिकृत क्षेत्रों से आने वाले प्रवासियों की अवशिष्ट समस्याएं ।

11. ऐसे विशेष क्षेत्रों का विकास जो समय-समय पर प्रधान मंत्री द्वारा उपदर्शित किए जाएं। अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में विशेष क्षेत्र विकास कार्य-क्रम, जहां तक उसका सम्बन्ध विस्थापित व्यक्तियों, प्रत्यावर्तियों और भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास से है।

12. भारत-पाकिस्तान युद्ध, 1971 के दौरान जम्मू और काश्मीर, पंजाब, गुजरात और राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में पीड़ित व्यक्तियों की सहायता और पुनर्वास।

13. भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान, जो अब पाकिस्तान है, से आए विस्थापित व्यक्तियों से सम्बन्धित अवशिष्ट मामले।

14. निम्नलिखित अधिनियमों का प्रशासन :--

(क) निष्क्रांत सम्पत्ति का प्रशासन अधिनियम, 1950 (1950 का 31)।

(ख) निष्क्रांत हित (पृथक्करण), अधिनियम, 1951 (1951 का 64)।

(ग) विस्थापित व्यक्ति (ऋण समजन) अधिनियम, 1951 (1951 का 70)।

(घ) विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर और पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44)।

(ङ) विस्थापित व्यक्ति (दावे) अनुपूरक अधिनियम, 1954 (1954 का 12)।

(च) निष्क्रांत निक्षेपों का हस्तांतरण अधिनियम, 1954 (1954 का 15)।

(छ) गोवा, दमण और दीव में निष्क्रांत सम्पत्ति का प्रशासन अधिनियम 1964 से सम्बन्धित मामले।

15. भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान, जो अब पाकिस्तान है, से आए विस्थापित व्यक्तियों द्वारा छोड़ी गई निष्क्रांत सम्पत्ति के सम्बन्ध में पाकिस्तान के साथ बातचीत

16. भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान जो अब पाकिस्तान है से प्राप्त चल सम्पत्ति का भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान जो अब पाकिस्तान है से आए विस्थापित व्यक्तियों को वापस देना।

17. (क) भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान जो अब पाकिस्तान है से आए विस्थापित व्यक्तियों, जो अविभाजित प्रान्तों और स्थानीय निकायों में सरकारी कर्मचारी थे, के पेंशन, भविष्य निधि, अवकाश वेतन और प्रतिभूति निक्षेपों सम्बन्धी दावों का सत्यापन और भुगतान।

(ख) भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान जो अब पाकिस्तान है से आए विस्थापित सरकारी कर्मचारियों को पेंशन, भविष्य निधि, अवकाश वेतन और अनुग्रहपूर्वक सहायता के भुगतान, ठेकेदारों को उनके सत्यापित दावों के सम्बन्ध मे सहायता के अनुदान के लिए तदर्थ योजनाएं; भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान जो अब पाकिस्तान है से 1-1-1961 और 25-3-1971 के बीच आए पेंशनभोगियों को सहायता का अनुदान।

18. इस सूची में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय से सम्बन्धित सभी संलग्न अथवा अधीनस्थ कार्यालय अथवा अन्य संगठन।

द्रष्टव्य.—जहां विनिर्दिष्ट है, उसे छोड़ कर, सहायता और पुनर्वास के कार्यक्रम राज्य सरकारों के माध्यम से निष्पादित और प्रशासित होते है।"

फ़खरुद्दीन अली अहमद,
राष्ट्रपति ।

[स० 71/2/1/75-सी एफ]

जे० एस० मोगिया, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976